स्टेट V/S मालाराम

9/3/2018 पत्रावली पेश हुई। अप्रार्थी अनुपस्थित। अप्रार्थी की ओर से श्री अमृतलाल सारस्वत अधिवक्ता ने दिनांक 19/2/18 का लिखा जवाब व उसके संलग्न वकालतनामा प्रस्तुत किया शामील पत्रावली रहे। नोटिस बाद तामील प्राप्त शामील पत्रावली रहे।। L.R. द्वारा फसल कुर्क कर हल्का पटवारी की तहवील मे सुपुर्द करने की फर्द प्रस्तुत की शामील पत्रावली रहे।

पत्रावली का अवलोकन किया गया, जिसके अनुसार हल्का पटवारी 2K.L.D. ने रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसमे हल्का पटवारी के चक 1MTM (CAD के मु०नं० 189/29 के कि०नं० 6 ता 9, 12 ता 16, 18, 19 की तादादी 11.00 बीघा अनकमाण्ड भूमि जो अराजी राज है पर अप्रार्थी श्री मालाराम s/o आराम जाति नाई सा० 2K.L.D. ने फसल रबी सम्वत 2074 मे जिन्स गैहू व सरसो काश्तकर अतिचार किया है। अप्रार्थी को नोटिस जारी किया गया नोटिस बाद तामील प्राप्त हुआ बावजूद इतला अप्रार्थी निश्चित दिनांक को उपस्थित नही हुआ। आज जरिये अधिवक्ता जवाब प्रस्तुत किया जिसके अनुसार मौके पर पत्थरगडी नही होने से मु०नं० 189/28 की भूमि को काश्त करना अवगत कराया है। अप्रार्थी का जवाब विधि सम्मत नही माना जा सकता क्योकि अप्रार्थी ने अपने जवाब मे किसी राजकुमारी वगैरह के मु०नं० 189/27-28 व 35 तथा 36 को काश्त करना उल्लेखित किया उक्त मुरब्बे स्क्वयर मे स्थित है एवम् मु०नं० 189/29 जो स्क्वयर से आगे निकल कर स्थित है अर्थात पत्थरगडी नही होने से अधिक काश्त करने एवम् मु०नं० 189/29 से कोई सरोकार नही होना लिखने मात्र से यह नही माना जा सकता कि अतिचार नही किया है। रिपोर्ट पटवारी एवम् जांच I.L.R. से तथा फसल कुर्की फर्द से प्रमाणित होता है कि चक 1MTM (CAD) के मु०नं० 189/29 के किला नं. 6 ता 9, 12 ता 16, 18, 19 तादादी 11.00 बीघा अ०क० रकबा पर सम्वत 2074 की फसल रबी मे जिन्स गैहू व सरसो की काश्तकर अतिचार किया गया है। अप्रार्थी मालाराम s/o उमाराम जाति नाई सा. 2K.L.D. को अतिक्रमी घोषित किया जाता है। अतिक्रमी को अतिक्रमण करने के आरोप मे शरह पड़ता लगान 0.14 @ बीघा के अनुसार 11.00 बीघा के लगान 1.54 रु. का 50 गुणा 77-00 रु० अखरे रुपया सत्तर मात्र का अर्थदण्ड आरोपित किया जाता है। खडी फसल जो कुर्क कर हल्का पटवारी की तहवील मे है को निलाम किया जाकर फर्द निलामी वास्ते स्वीकृति अधोहस्ताक्षरकर्ता को प्रस्तुत करे। पत्रावली फैसल शुमार की जाती है। पत्रावली बाद तकमील तरतीब दाखिल दफ्तर होवे। निर्णय आज दिनांक 9/3/2018 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

'घ' रजिस्टर के पृष्ठ 323 पर संख्या......... रुपये 77=00 अर्थदंड की मांग कायम की गई।
डी.आर.ए. खाजूवाला

तहसीलदार (राजस्व)
खाजूवाला

Scanned by CamScanner

24/3/2018 पत्रावली पेशी में ली गई। ILR द्वारा पूर्व आदेश की पालना में फसल निलामी की रिपोर्ट एवम् फर्द निलामी वास्ते स्वीकृति प्रस्तुत नहीं की गई है पुनः लिखा जाकर पत्रावली आइन्दा दिनांक को पेश होवे।

तहसीलदार (राजस्व)
खाजूवाला

29/3/18 पत्रावली पेश हुई। ILR से फसल निलामी फर्द प्राप्त शामिल पत्रावली रहे। फर्द निलामी स्वीकृत की जाती है। पत्रावली बाद मांग कायमी दाखिल दफ्तर होवे।

'घ' रजिस्टर के पृष्ठ संख्या 323 पर रुपये 4950/- फसल निलामी की मांग कायम की गई।

डी.आर.ए.
खाजूवाला

तहसीलदार (राजस्व)
खाजूवाला

Scanned by CamScanner